

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक F 02 () खा.वि./स्था.प्र./ 2024/02803

जयपुर, हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

श्री गोकुल चन्द मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक को राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया जाकर मुख्यालय खाद्य विभाग, जैसलमेर किया जाता है।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पूनम प्रसाद सागर)
अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य)

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त (खाद्य) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, जयपुर ।
4. जिला कलक्टर/जिला रसद अधिकारी, जैसलमेर एवं बीकानेर ।
5. उपायुक्त (प्रथम/द्वितीय), उपभोक्ता मामले विभाग ।
6. उप निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर ।
7. उप नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ, जयपुर ।
8. श्री गोकुल चन्द मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक को पालनार्थ प्रेषित है ।
9. स्थापना प्रवर्तन शाखा/जांच शाखा/ए.सी.आर शाखा ।
10. निजी पत्रावली श्री गोकुल चन्द मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक ।
11. रक्षा पत्रिका ।

Signature valid

Digitally signed by Poonam Prasad Sagar
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.02.19 15:18:19 IST
Reason: Approved

